

न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी (अतिरिक्त जिला कलक्टर) बांसवाड़ा (राजस्थान)
पीठासीन अधिकारी - नरेश बुनकर, RAS

अतिरिक्त जिला कलक्टर, बांसवाड़ा
प्रकरण संख्या : 39/2021
रजिस्ट्रेशन नं. :2021/49

राजस्थान राज्य जरिये
खाद्य सुरक्षा अधिकारी बनाम
बांसवाड़ा

अभियुक्त :-

श्री कैलाश पुत्र श्री कन्हैयालालजी माहेश्वरी
मैसर्स अंकित नमकीन भण्डार, मेन बाजार,
प्रतापगढ रोड, घाटोल जिला बांसवाड़ा


अपराध अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2(ii) खाद्य सुरक्षा एवं मानक
अधिनियम 2006, नियम 2011

निर्णय

दिनांक 14.09.2021

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि श्री दिलीप सिंह यादव खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बांसवाड़ा (राज.) के द्वारा दिनांक 12-08-2021 को यह प्रकरण इस आशय का पेश किया गया कि दिनांक 25-03-2021 को 11.00 ए.एम. बजे बाहैसियत खाद्य सुरक्षा अधिकारी खाद्य पदार्थों की जाँच हेतु मैसर्स अंकित नमकीन भण्डार, मेन बाजार, प्रतापगढ रोड, घाटोल जिला बांसवाड़ा पर पहुंचा। इस समय संस्थान पर श्री कैलाश पुत्र श्री कन्हैयालालजी माहेश्वरी उपस्थित थे। निरीक्षण करने पर विक्रेता की दुकान में लगभग 5 किलोग्राम बेसन नमकीन रिफाईण्ड सोयाबीन तेल में बनी आम जनता को विक्रय हेतु पायी गई। इसमें मिलावट का शक होने पर विक्रेता को गवाहान की उपस्थिति में फार्म नं.5ए पर सूचना देते हुए 2 किलोग्राम बेसन नमकीन रिफाईण्ड सोयाबीन तेल में बनी वास्ते नमुना जाँच हेतु क्रय कर इनकी कीमत 300 रु. विक्रेता को चुका कर रसीद प्राप्त की। जिस पर विक्रेता तथा गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक की। नमुना जाँच हेतु खरीदशुदा 2 किलोग्राम बेसन नमकीन को चार साफ, सुखी व खाली शीशी (जार) में बराबर-बराबर मात्रा में लेकर फार्मेलीन की 40-40 बूंद प्रत्येक में डालकर ढक्कन एयर टाईड बन्द किया। उक्त चार नमुना भागों में से एक नमूना भाग मय फार्म नं. 6 की प्रति आउटकवर में सील बन्द कर सील मोहर कर जाँच हेतु खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला बांसवाड़ा को जमा करवाया।

अभिहित अधिकारी खाद्य सुरक्षा एवं मुख्य चिकि. एवं स्वा. अधिकारी, बांसवाड़ा के पत्रांक एफ.एस.एस.ए/2021/163-64 दिनांक 09.04.2021 एवं खाद्य विश्लेषक, जन


न्याय निर्णयन अधिकारी
(अति.जिला कलक्टर)
बांसवाड़ा (राज.)


स्वास्थ्य प्रयोगशाला बॉसवाडा से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक 57 दिनांक 06.04.2021 अनुसार विक्रेता से वास्ते नमूना जांच हेतु क्रय किया की गई बेसन नमकीन Sub-standard food under section 3(1)(zx) of food safety and standards act 2006 contains extraneous matter under section 3(1)(i) of food safety and standards act 2006 due to presence of exterior starch sodium bicarbonate होना पाये जाने से विक्रेता द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया है जिस पर उक्त अधिनियम की धारा 51 के अन्तर्गत जुर्माने से दण्डित करने निवेदन किया।

प्रकरण दिनांक 18-08-2021 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर आरोपी को जरिये समन तलब किया गया।

दिनांक 14.09.2021 को अभियुक्त श्री कैलाश पुत्र श्री कन्हैयालालजी माहेश्वरी ने न्यायालय में उपस्थित होकर निवेदन किया कि न्यायालय जो भी जुर्माना करे, वह स्वीकार है। प्रकरण में आरोपी द्वारा अपराध स्वीकार कर लेने के कारण अन्य किसी साक्ष्य की अब आवश्यकता नहीं रहती है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं अभियुक्त को सुना। पत्रावली में उपलब्ध अभिलेखों का भी गहनता पूर्वक अवलोकन किया एवं उस पर मनन किया। अभिहित अधिकारी खाद्य सुरक्षा एवं मुख्य चिकि. एवं स्वा. अधिकारी, बॉसवाडा के पत्रांक एफ.एस.एस.ए/2021/163-64 दिनांक 09.04.2021 एव खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला बॉसवाडा से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक 57 दिनांक 06.04.2021 अनुसार विक्रेता से वास्ते नमूना जांच हेतु क्रय किया की गई बेसन नमकीन Sub-standard food under section 3(1)(zx) of food safety and standards act 2006 contains extraneous matter under section 3(1)(i) of food safety and standards act due to presence of exterior starch sodium bicarbonate होना पाया गया। प्रकरण में अभियुक्त द्वारा स्वयं अपराध स्वीकार किया है। ऐसी स्थिति में अब किसी अन्य साक्ष्य की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। इस कारण प्रकरण का अंतिम निस्तारण किया जाना हम उचित समझते हैं।


अतः खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 3(1)(ZX) के तहत विक्रेता द्वारा सबस्टैण्डर्ड किया गया बेसन नमकीन विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन होना पाया गया। जिस पर उक्त अधिनियम की धारा 51 का उल्लंघन किया है आरोपी को दोष सिद्ध घोषित किया जाकर श्री कैलाश पुत्र श्री कन्हैयालालजी माहेश्वरी मैसर्स अंकित नमकीन भण्डार, मेन बाजार, प्रतापगढ रोड, घाटोल जिला बॉसवाडा को 10,000/-


न्याय निर्णयन अधिकारी
(अति.जिला क्लर्क)
बॉसवाडा (राज.)

(अक्षरे रु. दस हजार मात्र) के अर्थ दण्ड से दण्डित किया जाता है। खाद्य सुरक्षा एवं मानक नियम 2011 के 3.1.2 के विन्दू संख्या 3 में उल्लेखित आय मद 0210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य, 04-लोक स्वास्थ्य, 800-अन्य प्राप्तियां, (03)-खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत अनुज्ञा-पत्र शुल्क आदि में उक्त जुर्माना राशि तीन दिवस में राजकोष में जमा कराकर चालान की प्रति इस न्यायालय में पेश करे। खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बांसवाड़ा आरोपी को जुर्माना राशि का चालान जमा कराने पाबंद करे तथा जमा राशि का चालान प्राप्त कर प्रति इस न्यायालय में पेश करे।

निर्णय आज दिनांक 14.09.2021 खुले न्यायालय सुनाया गया।




(नगेश बहनुकर)
न्याय निजवन अधिकारी
न्यायालय, जिला अफिस (एडर)
(अतिरिक्त जिला व (बांसवाड़ा)
बांसवाड़ा